

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 110/2022-23

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 209, दिनांक- 22.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक गंगाधर दास, पिता- स्व0 दुखन दास, साकिम- वेस्ट मोदीडीह कोलियरी, दुर्गा मंदिर के पास, थाना- तेतुलमारी, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- बेहराकुदर, मौजा नं0- 117, पुराना खाता नं0- 39, पुराना प्लॉट नं0- 63, नया खाता नं0- 109, नया प्लॉट सं0- 53, रकबा- 05 डिसमील भूमि क्रेता निर्मल कुमार राम, पिता- स्व0 नेपाली दास, साकिम- वेस्ट मोदीडीह कोलियरी, दुर्गा मंदिर के पास, थाना- तेतुलमारी, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के चमार हैं तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना- तेतुलमारी, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 30 डिसमील भूमि शेष बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।